न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या 382/18 निर्णय दिनांकः | 8-5-22
(जीसीएमएस संख्या 2018/00568)

1. यारेखॉ उर्फ यार मौहम्मद पुत्र मणिक खॉ जाति मुसलमान निवासी राणेवाला तहसील पूगल जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. मोतीराम पुत्र हरखाराम जाति जाट निवासी रीड़ी तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 17—08—2018
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थिति :—

1. श्री सुरेश चन्द्र व्यास, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट् ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 17—08—2018 जिसके द्वारा अपीलांट् की आक्यूपाईड भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 को किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को गावं राणेवाला में खसरा नम्बर 53 की 34 बीघा बारानी भूमि का आवंटन दिनांक 22–09–1990 को किया गया था। उक्त आवंटन के पश्चात् संबंधित पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट को खसरा नम्बर 222 पर कब्जा प्रदान किये जाने के उपरान्त से ही वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का निरन्तर कब्ज काश्त चला आ रहा है तथा मौके पर अपीलांट ढाणी बनाकर परिवार सहित निवास करता आ रहा है।

उन्होनें आगे बताया कि उक्त खसरा नम्बर 222 परिवर्तित होकर चक 4 डीआरएम के मुरब्बा नम्बर 169/37, मुरब्बा नम्बर 169/38 व मुरब्बा नम्बर 169/46 के रूप में पैमूद हुआ। इस प्रकार वर्तमान में अपीलांट का चक 4 डीआरएम के मुरब्बा नम्बर 169/37 के किला नम्र 16 ता 19, 22 ता 25 तादादी 8 बीघा व मुरब्बा नम्बर 169/38 के किला नम्बर 2 ता 9, 12 ता 17 तादादी 14 बीघा व मुरब्बा नम्बर 169/46 के किला नम्बर 1 ता 4, 8 ता 12, 18 ता 20 तादादी 12 बीघा इस प्रकार कुल 34 बीघा कमाण्ड भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि के बाबत् रिकार्ड दुरूस्ती करवाने व वादग्रस्त भूमि का बतौर खातेदार काश्तकार धोषित करवाने हेतु अपीलांट द्वारा एक वादपत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त वादपत्र दिनांक 02–07–2008 को खारिज किये जाने पर उक्त आदेश की अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करने पर न्यायालय हाजा द्वारा उक्त अपील दिनांक 24–09–2014 को रिमाण्ड करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया था। इस प्रकार यह साबित है कि अपीलांट वादग्रस्त भूमि के बाबत् अपने अधिकारों को लेकर लड़ाई लम्बे समय से लड़ता रहा है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा आगे कथन किया गया कि न्यायालय हाजा के आदेशों की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए सुनवाई प्रारम्भ की गई व कालान्तर में प्रकरण को आवंटन से संबंधित होने के आधार पर आवंटन शाखा को स्थानान्तरित भी किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय वादग्रस्त भूमि के बाबत् जैरकार कार्यवाही से भलींभांति परिचित होते हुए भी अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना ही व मौके की जॉच किये बिना, हल्का पटवारी से मौके पर कब्जे काश्त की रिपोर्ट रिपोर्ट प्राप्त किये बिना केवल मात्र राजस्व रिकार्ड को देखकर आनन–फानन में आदेश जैर अपील पारित किया गया है प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट का वादग्रस्त भूमि के बाबत् वादपत्र/आवंटन शाख में प्रकरण जैरकार था तथा आराजी जैर पर अपीलांट् के कब्जे काश्त की भूमि रही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद शुमार धोषित की जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने के उपरान्त भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है अपीलाधीन आदेश दिनांक 17–08–2018 के विरूद्व अपील दिनांक 20–11–2018 को प्रस्तुत की गई है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। अपीलांट् एक ग्रामीण परिवेश का काश्तकार व्यक्ति है। जिससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह न्यायालय के दिन–प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी रख सके। ऐसी सिति में अपील प्रस्तुत करने में हुए तीन माह के विलम्ब का कारण संतोषजनक पाये जाने से अपील

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब श्मन किया जाकर अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

प्रस्तुत प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट को ग्राम राणेवाला के खसरा नम्बर 53 की 34 बीघा भूमि का आवंटन वर्ष 1990 में किया गया था परन्तु पटवारी हल्का द्वारा कब्जा खसरा नम्बर 222 पर प्रदान किया गया है तथा तभी से वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट् द्वारा अपने कब्जे काश्त की भूमि पर अपने अधिकारों के बाबत् पूर्व में अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 24–09–2014 को रिमाण्ड किया गया। अदालत मातहत द्वारा न्यायालय के रिमाण्ड आदेशों की पालना में प्रकरण को दिनांक 01–12–2014 को दर्ज रजिस्टर करते हुए अभिलिखित किया गया कि माननीय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के आदेश दिनांक 02–07–2008 को खारिज करते हुए इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि वाद का तनकीवार न्यायिक विवेचना कर निर्णय पारित करें। इस प्रकार यह तथ्य साबित है कि अदालत मातहत को रिमाण्ड प्रकरण की भलीभांति जानकारी थी तथा दिनांक 06–06–2018 को प्रकरण आवंटन शाखा से संबंधित होने का कथन करते हुए पत्रावली को आवंटन शाखा में स्थानान्तरित करने के आदेश प्रदान किये गये। इस प्रकार प्रकरण में यह तथ्य साबित है कि अपीलांट् द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकारों की सुरक्षा एवं सरंक्षणा हेतु लम्बे समय से न्यायालयों में चाराजोई की जाती रही है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कालान्तर में न्यायालय हाजा के भूमिहीन आवंटन पत्रावली में पारित रिमाण्ड आदेशों की पालना में वादग्रस्त भूमि चक 4 डीआरएम के मुरब्बा नम्बर169/38 के किला नम्बर 2 ता 9, 12 ता 15, 19, 20/0.18 की 13.18 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 16 ता 18, 21/0.16, 22/0.18, 23/0.18, 24/0.18, 25/0.18 की 7.08 बीघा अनकमाण्ड एवं मुरब्बा नम्बर 169/30 के किला नम्बर 16 ता 20 की 5 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में बतौर भूमिहीन आवंटित कर दी गई। जिससे व्यथित होकर अपीलांट् द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् स्वयं के न्यायालय में प्रकरण जैरकार रहते हुए भी

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में यह तथ्य जॉच का विषय है कि अदालत मातहत द्वारा एक ही भूमि का दोहरा आवंटन किस आधार पर किया गया है। वादग्रस्त भूमि के आवंटन के समय पक्षकारों के धारण में रही भूमि की जॉच भी अदालत मातहत द्वारा सही तरीके से नहीं की गई है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पूर्व में आवंटित भूमि अन्य व्यक्ति को आवंटित होने के आधार पर ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है जोकि पूर्व में अपीलांट की कब्जे काश्त की भूमि रही है तथा जिस पर अपीलांट् द्वारा अर्सेदराज से अपने अधिकारों के बाबत् लड़ाई लड़ी जा रही है। अदालत मातहत के उक्त कृत्य से पक्षकारों को अनावश्यक रूप से न्यायालय की शरण में आना पड़ा है। यदि अदालत मातहत द्वारा तत्सयम ही इस तथ्य की जॉच कर ली जाती कि क्या वादग्रस्त भूमि शुद्व रूप से आवंटन योग्य उपलब्ध भूमि है अथवा नहीं? तो प्रकरण में अनावश्यक पेचिदगियों से बचा जा सकता था। चूंकि प्रकरण में अपीलांट् द्वारा आवंटन पश्चात् वादग्रस्त भूमि पर कब्जे काश्त के संबंध में राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत किया गया है व अपना–अपना कब्जा बताया जा रहा है। ऐसीस्थिति में जहॉ तक आवंटन आदेश की वैधता/वादग्रस्त आराजी के मौके पर कब्जे काश्त का प्रश्न है, यह तथ्य अदालत मातहत की जॉच का विषय है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, पूगल का अपीलाधीन आदेश दिनांक 17–08–2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों आवंटनों के संबंध में अपीलांट्/रेस्पोडेन्ट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए व वादग्रस्त आराजी के संबंध में मौके व रिकार्ड की जॉच करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

9. निर्णय आज दिनांक 18/5/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

18/5/22

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर